न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 38/2020

उनवान :

1. सतवीरसिंह पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजवीरसिंह पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. रामकिशन उर्फ कृष्ण पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. विद्यादेवी पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
3. सीमा पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : वादीगण

निर्णय दिनांक : 18-03-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा सुरतपुरा के वर्तमान खाता सं0 178/172 के मु0नं0 187 के किला नं0 21, मु0नं0 188 के किला नं0 21 ता 25 मु0नं0 189 के किला नं0 16 व 25 मु0नं0 202 के किला नं0 4 ता 7, 14 व 15, मु0नं0 203 के किला नं0 1 ता 13, मु0नं0 204 के किला नं0 1 कुल किता 28 की 6.959 है0 बारानी मय रास्ता की खातेदारी में प्रतिवादी रामकिशन के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही आसन के वर्तमान खाता सं0 80/78 के खसरा सं0 178/2 की 4.714 है0 खसरा सं0 185 की 1.467 है0 खसरा सं0 186 की 0.354 है0 कुल किता 3 की 6.535 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रामकिशन के नाम सें 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी[illegible] अमीलाल की खातेदारी हुआ करती थी। अमीलाल के देहान्त होने पर वादभूमि वादीगण एवं [illegible] सं0 1 ता 3 को विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी राम[illegible] के चलते उक्त भूमि का विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी सं0 1 ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्र[illegible] वादभूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वादभूमि की बाबत वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का पारिवारिक सैटलमेंट हो गया था जिसमें प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 ने वादभूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी रामकिशन के पक्ष में तर्क कर शुन्य कर लिया था जिस पर कुल वादभूमि जो प्रतिवादी रामकिशन के नाम से दर्ज है वह वादीगण एवं प्रतिवादी रामकिशन को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी। इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी रामकिशन की कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु रिकार्ड माल में कुल वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी रामकिशन के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी सतवीर सिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से 5 प्रदर्शित करवाये गये। पत्रावली बहस हेतु रखी गई।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वाद कृषि भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने हस्तगत वाद ग्राम सुरतपुरा व आसन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद कृषि भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसकी पुष्टि में वादीगण ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू-प्रबन्ध विभाग ग्राम आसन सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू-प्रबन्ध विभाग ग्राम सुरतपुरा बारानी सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाई है जिनमें वाद भूमि वादीगण के दादा अमीलाल के नाम दर्ज है जिससे वाद वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 में रामकिशन उर्फ कृष्ण के वारिसान में पत्नी कमला व दो पुत्री विद्या देवी व सीमा एवं दो पुत्र सतवीर व राजवीर होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:21 IST
Reason: SelfAttested

अत : वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा [illegible] जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरतपुरा के [illegible] मु0नं0 187 के किला नं0 21, मु0नं0 188 के किला नं0 21 ता 25 मु0नं0 189 के किला नं0 16 व 25 मु0नं0 202 के किला नं0 4 ता 7, 14 व 15, मु0नं0 203 के किला नं0 1 ता 13, मु0नं0 204 के किला नं0 1 कुल किता 28 की 6.959 है0 बारानी मय रास्ता की खातेदारी मे

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी रामकिशन के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही आसन के वर्तमान खाता सं0 80/78 के खसरा सं0 178/2 की 4.714 है0 खसरा सं0 185 की 1.267 है0 खसरा सं0 186 की 0.354 है0 कुल किता 3 की 6.535 है0 वारानी खातेदारी में प्रतिवादी रामकिशन के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वाद कृषि भूमि उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18-03-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(मुकेश बारठ)
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 38/2020

अनवान :

1. सतवीरसिंह पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजवीरसिंह पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. रामकिशन उर्फ कृष्ण पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. विद्यादेवी पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
3. सीमा पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरतपुरा के वर्तमान खाता सं0 178/172 के मु0नं0 187 के किला नं0 21, मु0नं0 188 के किला नं0 21 ता 25 मु0नं0 189 के किला नं0 16 व 25 मु0नं0 202 के किला नं0 4 ता 7, 14 व 15, मु0नं0 203 के किला नं0 1 ता 13, मु0नं0 204 के किला नं0 1 कुल किता 28 की 6.959 है0 बारानी मय रास्ता की खातेदारी में प्रतिवादी रामकिशन के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही आसन के वर्तमान खाता सं0 80/78 के खसरा सं0 178/2 की 4.714 है0 खसरा सं0 185 की 1.467 है0 खसरा सं0 186 की 0.354 है0 कुल किता 3 की 6.535 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रामकिशन के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वाद कृषि भूमि उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18-03-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:21 IST
Reason: SelfAttested

(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner